न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 170/2023

प्रार्थी	**बनाम**	विप्रार्थीगण
अनवर पुत्र करीमा जाति मुसलमान व अन्य निवासी भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी		1. अणसी पत्नी लाला जाति मेगवाल 2. सुआ पत्नी बुधा जाति मेगवाल 3. केवलाराम पुत्र खुमाराम जाति मेगवाल 4. घमडाराम पुत्र लालाराम जाति मेगवाल 5. मांगाराम पुत्र लालाराम जाति मेगवाल 6. शंकराराम पुत्र केसाराम जाति मेगवाल 7. सुबटी पत्नीकेसाराम जाअतमेगवाल 8. कुहियालाल पुत्र लाखाराम जाति भाट 9. पानीदेवी पत्नी लाखाराम जाति भाट 10. मोटाराम पुत्र पताराम जाति भाट 11. प्रभूराम पुत्र बुधाराम जाति मेगवाल 12. नरपत पुत्र बुधाराम जाति मेगवाल 13. भैराराम पुत्र सकाराम जाति भाट 14. हंसाराम पुत्र सकाराम जाति भाट 15. चंदाराम पुत्र सकाराम जाति भाट 16. चम्पाराम पुत्र रामाराम जाति मेगवाल 17. जूंजाराम पुत्र आसूराम जाति मेगवाल 18. थानाराम पुत्र रामाराम जाति मेगवाल 19. फुआराम पुत्र आसूराम जाति मेगवाल 20. मिसराराम पुत्र आसुराम जाति मेगवाल 21. मोहन पुत्र [illegible] जाति मेगवाल 22. रमेश पुत्र [illegible] जाति भाट 23. हुरी पत्नी आसूराम जाति मेगवाल 24. बींजाराम पत्रु मोबताराम जाति

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:50:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

मेघवाल निवासीगान भूका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

25. वन विभाग राजस्थान सरकार जरिये रैंजर वन विभाग सिणधरी जिला बाड़मेर

26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति—

1. श्री जोगराज पोटलिया , प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 28.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 3 रकबा 15.5975 हैक्टेयर किस्म बारनी सोयम सरहद मौजा भूका वगतसिंह, पटवार क्षेत्र भूका वगतसिंह, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भूका वगतसिंह, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत खसरा नम्बर 3 रकबा 15.5975 हैक्टेयर किस्म बारनी सोयम सरहद मौजा भूका वगतसिंह, पटवार क्षेत्र भूका वगतसिंह, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भूका वगतसिंह, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:50:07 IST
Reason: SelfAttested

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 3 रकबा 15.5975 हैक्टेयर किस्म बारनी सोयम सरहद मौजा भूका वगतसिंह, पटवार क्षेत्र भूका वगतसिंह, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भूका वगतसिंह,

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

सील सिणधरी जिला बाड़मेर आई हुई है। प्रार्थीगण के आपसीक खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढ़ा सेढ़ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की पाले या सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 3 रकबा 15.5975 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम सरहद मौजा भूका वगतसिंह, पटवार क्षेत्र भूका वगतसिंह, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भूका वगतसिंह, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमाये जावे।

4 हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि खसरा नम्बर 3 रकबा 15.5975 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम सरहद मौजा भूका वगतसिंह, पटवार क्षेत्र भूका वगतसिंह, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भूका वगतसिंह, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 3 रकबा 15.5975 हैक्टेयर किस्म बारनी सोयम सरहद मौजा भूका वगतसिंह, पटवार क्षेत्र भूका वगतसिंह, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भूका वगतसिंह, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:50:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी